XXI Form No 87 S.N.....

(H)

RECEIPT FOR FEES DEPOSITED FOR SEARCH & COPY

Serial number of application.....11961.....

Date of application.....8/3/2024.....

Name of applicant.....Ram Ratan Singh.....

Fees Paid.....

Stamp Paper for.....300/-.....

Date of deposit.....

Registering Officer

अनुसूची II-नियम 113

संपत्ति अवधार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या ... सं ... आवेदन संख्या ... सन् 21...

श्री/श्रीमती/कु. Ramendra Kumar Sinha

ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निर्धारित संव्यवहारों और अवधारों का समेकित प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में यही है और उसमें सम्यक् अनुसूचियों में दर्ज 01-01-2008 से तारीख 06-03-2021 तक तलाशी की घटी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता चला ...

...पता है अतः ... अवधार मुक्त

क्रमांक	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र0 निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	mauza— Dhakanpura P-S— Shastri Nagar Ps-No— 7 Khata No— 239 Plot No— 646 Area— 9 Kotha.							

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें ।
2. बंधक–पत्र की दिशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें । बशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें ।

मै यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयुर्क्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रगाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण–पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर): EPMC

(पदनाम): AIC

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय: patna,

तारीख: 23-02-2024

सहायक अवर निबंधक पटना

अवर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :– इस प्रमाण–पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा–57 के अधीन जो व्यक्ति (बाहयों) और अनुक्रमणियाँ (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण–पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वंय करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वंय तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण–पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधक

ज्ञाप संख्या 2590 दिनांक 23/3/24

आवेदक श्री Ramendra Kumar Singh

का ऋणभार प्रमाण–पत्र द्वारा Manager Punaichak Branch, Patna.

का उनके पत्र संख्या 20-24 दिनांक 06/03/2024 के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

Patna.

23.3.2024